न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 27 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 15.07.2015

विजेन्द्र पुत्र लिखीराम जाति वाल्मिकी निवासी चौहरपुरा तहसील दोलाहा जिला गुड़गांव हरियाणा

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार निवाई दिनांक 15.04.2025 अन्तर्गत धारा 90 ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम विजेन्द्र

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज टाण्डी,अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 07.10.2025

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 15.04.2025 को अपीलाण्ट को खसरा नंबर 722/1 रकबा 10.7494 है. किस्म बारानी–2 व 763/2 रकबा 8.7007 है. किस्म बजड बीड वाके ग्राम जोधपुरा तहसील निवाई मे स्थित है, जिसमे अपीलांट का हिस्सा क्रमशः 1/12 व 3/8 है जो की अपीलांट की खातेदारी भूमि है पर अपने हिस्से की कृषि भूमि पर अपीलांट द्वारा आवासीय रोडे डालकर प्लाटिंग कर अकृषि उपयोग मे परिवर्तन किये जाने पर राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का जोधपुरिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रिन्टेड फार्म में धारा 90 (क) की रिपोर्ट दिंनाक 18.10.2024 को पेश करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की सुनवाई किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया गया है। अपीलांट तहसील निवाई का निवारी ना होकर ग्राम चोहरपुरा तहसील दोलाहा जिला गुड़गांव (हरियाणा)का निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की तामिल नही हुई है।

जिला कलेक्टर
टोंक

नोटिस पर मनराज के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने ही उक्त आदेश पारित किया जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 26.11.2024 को अपीलांट की तामिल नही होने के उपरान्त भी पत्रावली मे अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है जो नियमानुसार सही नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई मौका रिपोर्ट नहीं मगंवायी गई तथा उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी राजस्व कर्मचारी के बयान लेखबद्व नही किये है। आराजी खसरा नम्बर 722/1 रकबा 10.7494 है. व खसरा नम्बर 763/2 रकबा 8.7007 है. वाके ग्राम जोधपुरा तहसील निवाई में स्थित है जो अपीलांट एवं अन्य खातेदारों की सामलाती भूमि है जिसका विधिवत रूप से तकास्मा नहीं हो रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय द्वेषतापूर्ण भावना से पारित किया है,जबकि उक्त भूमि शामलाती है अर्थात केवल अपीलांट को ही टारगेट बनाते हुए कार्यवाही की गयी है। मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है,जबकि उक्त आराजीयात पर वर्तमान में मोके पर कोई प्लाटिंग होकर कॉलोनी का निर्माण नहीं हो रखा है। उक्त आराजीयात पर अपीलांट द्वारा काश्त की जा रही है जो खसरा गिरदावरी संवत 2081 वाके ग्राम जोधपुरा से साबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अपीलांट का कितना हिस्सा है और कितनी भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन किया गया है का उल्लेख नही किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अपीलांट को सर्वप्रथम उक्त आदेश की जानकारी दिनाक 07.07.2025 को राजस्व कर्मचारी मोके पर आने व बेदखल करने की धमकी देने पर हुई,जिस पर अपीलांट ने दूसरे दिन तहसील कार्यालय में आकर दिनांक 08.7.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और दूसरे दिन टोंक आकर विधिक सलाह लेकर अपील बिना किसी देरी के पेश है। अपील पेश करने में कोई देरी मानी जायी जाये तो पृथक से धारा 5 लि. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 722/1 व 763/2 रकबा 19.4501 है. किस्म किस्म बारानी-2 व बजड बीड वाके ग्राम जोधपुरा तहसील निवाई में अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर रोडे डालकर प्लाटिंग कर अकृषि उपयोग मे लिये जाने पर तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है,जिस पर अपीलान्ट की ओर से मनराज की तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट कृषि भूमि को बिना संपरिर्वतन कराये ही अकृषि के उपयोग मे लेना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2071-74 वाके ग्राम जोधपुरा तहसील निवाई मे आराजी खसरा 722/1 मे 1/12 व खसरा नम्बर 763/2 मे 3/8 हिस्सा भूमि अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अवैधानिक रूप से मौके पर रोडे डालकर प्लाटिंग कर अकृषि उपयोग मे लिये जाने से

जिला कलेक्टर (राजस्थान) टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट पर शास्ति कायम कर उक्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की सुनवाई किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की तामिल नही हुई है। नोटिस पर मनराज के हस्ताक्षर है। अपीलांट तहसील निवाई का निवासी ना होकर ग्राम चोहरपुरा तहसील दोलाहा जिला गुडगांव (हरियाणा)का निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 26.11.2024 को अपीलांट की तामिल नही होने के उपरान्त भी पत्रावली मे अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है जो नियमानुसार सही नही है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में मोके पर कोई प्लाटिंग होकर कॉलोनी का निर्माण नहीं हो रखा है। उक्त आराजीयात पर अपीलांट द्वारा काश्त की जा रही है जो खसरा गिरदावरी संवत 2081 वाके ग्राम जोधपुरा से स्पष्ट है, परन्तु पटवारी हल्का जोधपुरा व भू–अभिलेख निरीक्षक वनस्थली द्वारा दिनांक 18.10.2024 को अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 722/1 व 763/2 रकबा 19.4501 है. की मौका रिपोर्ट मे अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर मौके पर रोडे डालकर प्लाटिंग कर अकृषि उपयोग मे लिये जाने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय/तहसीलदार निवाई के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का अवलोकन करने से विदित होता है कि नोटिस पर मनराज के हस्ताक्षर है। नोटिस किस तामिल कुन्दिा द्वारा तामिल करवाया गया। मनराज के साथ अपीलांट का क्या संबंध है। नोटिस पर बाद तामिल रिपोर्ट पर तहसीलदार निवाई के हस्ताक्षर भी नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की तामिल सी.पी.सी. के नियमानुसार नहीं करवाई गई है। पटवारी हल्का पटवारी हल्का जोधपुरा व भू–अभिलेख निरीक्षक वनस्थली द्वारा दिनांक 18.10.2024 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट मे अपीलांट के हिस्से मे कितनी भूमि आती है और उस भूमि मे से कितनी भूमि पर अपीलांट ने अवैध रूप से मौके पर रोडे डालकर प्लाटिंग कर अकृषि के उपयोग मे परिवर्तन किया है का उल्लेख नही है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे इस संबंध मे उल्लेख किया है। पटवारी हल्का जोधपुरा व भू–अभिलेख निरीक्षक वनस्थली द्वारा दिनांक 18.10.2024 को भूमि खसरा नम्बर 722/1 व 763/2 रकबा 19.4501 है. की रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे खसरा नम्बर 722/1 व 723/2 का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.04.2025 अपास्त कर तहसीलदार निवाई को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दस्तावेजात/मौके की स्वंय जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

Monthly Statement showing position regarding disposal of revenue cases for the month of May 2025 District Tonk

Name of Court	PENDING				DISPOSAL									BALANCE						
	Pendency in beginning	Original Instituion	Instituion by Transfer	Total case (Total of Col.2+4)	Actual Disposal	Disposal by Transfer	Total Disposal	Over 5 Year (2020 & Preve.)	Over 3 Year (2021-2022)	Over 2 Year (2023)	Over 1 Year (2024)	Less Than 1 Year (2024-25)	Total Balance	Over 5 Year (2020 & Preve.)	Over 3 Year (2021-2022)	Over 2 Year (2023)	Over 1 Year (2024)	Less Than 1 Year (2024-25)	Yrarwise Number of Pending Cases	Whether disposal is more than norms of less than
DC Tonk	**568**	43	0	**611**	44	0	**44**	8	0	0	18	18	**567**	110	49	106	110	192	List Enclosed	
ADM Tonk	**304**	45	0	**349**	30	0	**30**	5	2	1	3	19	**319**	98	55	25	35	106	List Enclosed	
ADM Malpura	**143**	2	0	**145**	37	0	**37**	26	3	6	1	1	**109**	45	9	17	11	27	List Enclosed	
SDM Tonk	**1990**	114	0	**2104**	104	0	**104**	17	5	15	11	56	**2000**	266	198	129	294	1113	List Enclosed	
SDM Malpura	**3721**	83	0	**3804**	24	0	**24**	7	5	1	4	7	**3780**	911	498	393	1189	789	List Enclosed	
SDM Deoli	**2383**	353	0	**2736**	28	0	**28**	4	8	6	7	3	**2708**	436	320	366	392	1194	List Enclosed	
SDM Peeplu	**1290**	98	0	**1388**	94	0	**94**	20	14	8	7	45	**1294**	298	296	203	269	228	List Enclosed	
SDM Newai	**2300**	170	0	**2470**	260	0	**260**	4	0	0	0	256	**2210**	61	97	336	732	984	List Enclosed	
SDM Uniara	**1669**	69	0	**1738**	65	0	**65**	24	27	13	1	0	**1673**	203	275	285	306	604	List Enclosed	
SDM Todaraising	**1910**	180	0	**2090**	142	0	**142**	22	3	8	13	96	**1948**	462	460	260	333	433	List Enclosed	
ACEM Tonk	**151**	8	0	**159**	8	0	**7**	0	0	0	0	7	**152**	47	18	18	27	42	List Enclosed	
ACEM Newai(F.T.)	**983**	26	0	**1009**	35	0	**35**	10	4	6	6	9	**974**	338	166	113	141	216	List Enclosed	
Total	**17412**	**1191**	**0**	**18603**	**871**	**0**	**870**	**147**	**71**	**64**	**71**	**517**	**17734**	**3275**	**2441**	**2251**	**3839**	**5928**		

(Ram Ratan Sokriya)

Add.District Collector Tonk